"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" के अन्तर्गत रिफार्म एरिया के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित निम्नलिखित 02 रिफार्म एरिया पर कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 03.11.2020 समय 4.00 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. डा0 वसन्त कुमार, अधिशासी निदेशक, यू.पी.टी.एस.यू.।
2. डा0 मूत्थु कुमार स्वामी, विशेष सचिव, औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन।
3. डा0 डी.एस.नेगी, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. डा0 राकेश कुमार, (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. डा0 एस.के. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6. डा0 अजय सिंह कश्यप, परियोजना निदेशक, यू.पी.एल.सी.।

प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में बैठक दिनांक 16.09.2020 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श करते हुए निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

1. मैनुअल रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को समाप्त कर यू.पी.हेल्थ इन के माध्यम से आन लाइन रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये/यू.पी. एल.सी. के द्वारा पूर्ण कर लिये जाने पर बधाई दी गयी।
2. पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट में संशोधन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्रभावी अनुश्रवण कर प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।

   (कार्यवाही–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/यू.पी.टी.एस.यू.)
3. क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट में प्रस्तावित संशोधन की कार्यवाही महानिदेशालय द्वारा पूर्ण करते हुए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

   (कार्यवाही–महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें)
4. पी.सी. पी.एन.डी.टी. का कियान्वयन अन्य राज्यों की भांति प्रदेश में लागू किये जाने के सम्बन्ध में एन.एच.एम./यू.पी.टी.एस.यू. से एक माह के उपरान्त भी प्रस्ताव उपलब्ध न कराये जाने पर यह निर्देश दिया गया कि अनुश्रवण कर एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

   (कार्यवाही–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

Dr S.K. Srivastava

अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

आलोक कुमार–II
प्रमुख सचिव।

Ashu@Karywatit

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–6
संख्या– 1432/पांच–6–2020
लखनऊ : दिनांक 04 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक (चिकित्सा, उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, यू0पी0एल0सी0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्र संख्या–11फ/2020–21/ 5924-25 लखनऊ, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपिः–उपरोक्त शासनादेश संख्या–1432/पांच–6–2020, दिनांक 04.11.2020 द्वारा जारी उपरोक्त कार्यवृत्ति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 को उपरोक्त कार्यवृत्ति के बिन्दु संख्या–1 में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में निर्देशित किया जाता है कि सभी निजी चिकित्सालयों/ चिकित्सा इकाईयों एवं निदान केन्द्रों इत्यादि का पंजीकरण/नवीनीकरण ऑनलाईन ही किया जाय एवं मैनुअल व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाय।

(देवेन्द्र सिंह नेगी)
महानिदेशक